

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 648]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 12 अगस्त 2025 — श्रावण 21, शक 1947

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 7 अगस्त 2025

आदेश

ESTB/1358/2025-HOME SECTION.— भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा 39 विशेषज्ञों की राय से संबंधित है।

“धारा 39. विशेषज्ञों की राय :—

(1) जब न्यायालय को विदेशी विधि या विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र के किसी बात पर या हस्तलेख या अंगुलियों के चिन्ह की अनन्यता के बारे में कोई राय बनानी हो, तो उस मुद्दे पर ऐसे विदेशी विधि, विज्ञान या कला या किसी अन्य क्षेत्र में या हस्तलेख या अंगुलियों के चिन्ह की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं और ऐसे व्यक्तियों को विशेषज्ञ कहा जाता है।

(2) जब किसी न्यायालय को किसी कार्यवाही में किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्रारूप में पारेषित या संग्रहित किसी सूचना के संबंध में कोई राय बनाना हो, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 79क में निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक की राय सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण : इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक एक विशेषज्ञ होगा।

2. इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख की धारा 61 इस प्रकार है — इस अधिनियम, की कोई बात इस आधार पर साक्ष्य में किसी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल साक्ष्य की ग्राहता से इंकार नहीं करेगी कि यह कोई इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख है और ऐसे अभिलेख का, धारा 63 के अधीन रहते हुए, वही विधिक प्रभाव, विधि मान्यता और प्रवर्तनशीलता होगी, जो किसी कागज के अभिलेख की होती है।

3. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख से संबंधित साक्ष्य के बारे में विशेष उपबंध (धारा-62) : में लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की विषय-वस्तु को धारा 63 के प्रावधानों के अनुसार साबित किया जा सकता है।

4. इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की स्वीकार्यता (धारा-63) :

(1) इस अधिनियम में निहित किसी भी बात के होते हुये भी, किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित कोई भी सूचना जो कागज पर मुद्रित है, ऑप्टिकल या चुंबकीय मीडिया या अर्धचालक मेमोरी में संग्रहीत, रिकॉर्ड या कॉपी की गई है जो कंप्यूटर या किसी संचार उपकरण द्वारा निर्मित है या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में संग्रहीत, रिकॉर्ड या कॉपी की गई है (जिसे इसके बाद कंप्यूटर आउटपुट कहा जाता है) को भी एक दस्तावेज माना जाएगा, यदि इस खंड में उल्लिखित शर्तें संबंधित सूचना और कंप्यूटर के संबंध में पूरी होती हैं और किसी भी कार्यवाही में बिना किसी अतिरिक्त सबूत या मूल के उत्पादन के, साक्ष्य के रूप में या मूल की किसी भी विषय-वस्तु या उसमें बताए गए किसी भी तथ्य के लिए स्वीकार्य होगी, जिसके लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य स्वीकार्य होगा

(2) कम्प्यूटर निर्गम की बाबत उप-धारा (1) में वर्णित शर्तें निम्नलिखित होंगी अर्थात्:-

(क) सूचना युक्त कम्प्यूटर निर्गम, कम्प्यूटर या संसूचना युक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान उत्पादित किया गया था, जिसमें उस व्यक्ति द्वारा, जिसका कम्प्यूटर के उपयोग पर विधिपूर्ण नियंत्रण था, उस अवधि में नियमित रूप से किये गये किसी कियाकलाप के प्रयोजनों के लिए, सृजन या सूचना भण्डारित करने या प्रशंसकरण करने के लिए नियमित रूप से कम्प्यूटर या संसूचना युक्ति का उपयोग किया गया है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित प्रकार की सूचना या जिस प्रकार की सूचना से ऐसी सूचना प्राप्त हुई है, उक्त गतिविधियों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर या संचार युक्ति में नियमित रूप से फीड की गई थी;

(ग) उक्त अवधि के संपूर्ण भौतिक भाग के दौरान, कम्प्यूटर या संचार युक्ति ठीक से कार्य कर रही थी या, यदि नहीं, तो किसी अवधि के संबंध में, जिसमें वह ठीक से कार्य नहीं कर रही थी या अवधि के उस भाग के दौरान प्रचालन से बाहर थी, ऐसी नहीं थी, जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख या उसकी अंतर्वस्तु की सटीकता को प्रभावित करती हो; और

(घ) इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में निहित सूचना उक्त गतिविधियों के सामान्य अनुक्रम में कम्प्यूटर या संचार युक्ति में फीड की गई ऐसी सूचना का पुनरुत्पादन करती है या उससे प्राप्त होती है।

(3) जहां किसी अवधि में, उपधारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित किसी क्रियाकलाप के प्रयोजनों के लिए सूचना के सृजन, भंडारण या प्रसंस्करण का कार्य नियमित रूप से एक या अधिक कम्प्यूटरों या संचार उपकरणों के माध्यम से किया जाता था, चाहे—

(क) एकल ढंग में; या

(ख) किसी कम्प्यूटर प्रणाली पर; या

(ग) किसी कम्प्यूटर नेटवर्क पर; या

(घ) सूचना को समर्थ बनाने में, सूचना का सृजन या उपलब्ध कराने वाले और भंडारण करने वाले कम्प्यूटर संसाधन पर; या

(ङ) किसी मध्यस्थ के माध्यम से,

उस अवधि के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपयोग किए गए सभी कम्प्यूटरों या संचार उपकरणों को इस धारा के प्रयोजनों के लिए एक एकल कम्प्यूटर या संचार उपकरण माना जाएगा; और इस धारा में कम्प्यूटर या संचार उपकरण के संदर्भों का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(4) किसी कार्यवाही में, जहां इस धारा के आधार पर साक्ष्य में कथन देना वांछित है, निम्नलिखित में से कोई भी कार्य करने वाला प्रमाणपत्र इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के साथ प्रत्येक बार प्रस्तुत किया जाएगा, जहां इसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है, अर्थात्:—

(क) कथन को अंतर्विष्ट करने वाले इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख की पहचान करना तथा जिस तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया था, उसका वर्णन करना;

(ख) उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के प्रस्तुतीकरण में सम्मिलित किसी युक्ति को ऐसा विवरण देना जो यह दर्शाने के प्रयोजन के लिये समुचित हो कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों का कम्प्यूटर या उपधारा (3) के खंड (क) से खण्ड (ङ) में निर्दिष्ट किसी संचार युक्ति द्वारा उत्पादन किया गया था;

(ग) उन विषयों में से किसी से निपटना जिससे उपधारा (2) में उल्लिखित शर्तें संबंधित हैं,

और कंप्यूटर या संचार युक्ति के प्रभारी व्यक्ति या सुसंगत गतिविधियों के प्रबंधन (जो भी उपयुक्त हो) तथा किसी विशेषज्ञ द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित करना प्रमाणपत्र में वर्णित किसी विषय का साक्ष्य होगा; और इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए यह पर्याप्त होगा कि कोई विषय, अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रमाणपत्र में, उसका कथन करने वाले व्यक्ति के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार कहा गया हो।

(5) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, —

- (क) सूचना किसी कम्प्यूटर या संचार युक्ति को दी गई मानी जाएगी यदि वह किसी उपयुक्त रूप में दी गई हो और चाहे वह सीधे दी गई हो या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से दी गई हो;
- (ख) कम्प्यूटर आउटपुट किसी कम्प्यूटर या संचार युक्ति द्वारा उत्पादित माना जाएगा चाहे वह सीधे दी गई हो या (मानवीय हस्तक्षेप सहित या उसके बिना) किसी उपयुक्त उपकरण के माध्यम से या उपधारा (3) के खण्ड (क) से (ङ) में निर्दिष्ट अन्य इलैक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा दी गई हो।

राज्य सरकार आदेश देती है कि राज्यांतर्गत समस्त विभाग भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 के उपरोक्त प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यकतानुसार सहयोग एवं समन्वय स्थापित करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अभिषेक अग्रवाल, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 7th August 2025

NOTIFICATION

ESTB/1358/2025-HOME SECTION.- Whereas, Section 39 of the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023, is related to Opinion of experts.

"Section 39. Opinions of experts -

(1) When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or any other field, or as to identity of handwriting or finger impressions, the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, or any other field, or in questions as to identity of handwriting or finger impressions are relevant facts and such persons are called experts.

(2) When in a proceeding, the court has to form an opinion on any matter relating to any information transmitted or stored in any computer resource or any other electronic or digital form, the opinion of the Examiner of Electronic Evidence referred to in section 79A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), is a relevant fact.

Explanation. For the purposes of this sub-section, an Examiner of Electronic Evidence shall be an expert.

2. Whereas, Section 61 of the BSA (Electronic or digital record)

reads as -Nothing in this Adhiniyam shall apply to deny the admissibility of an electronic or digital record in the evidence on the ground that it is an electronic or digital record and such record shall, subject to section 63, have the same legal effect, validity and enforceability as other document.

3. Whereas, Section 62 of the BSA (Special provisions as to evidence relating to electronic record) reads as The contents of electronic records may be proved in accordance with the provisions of section 63.

4. Whereas, Section 63 of the BSA (Admissibility of electronic records)

reads as

- (1) Notwithstanding anything contained in this Adhiniyam, any information contained in an electronic record which is printed on paper, stored, recorded or copied in optical or magnetic media or semiconductor memory which is produced by a computer or any communication device or otherwise stored, recorded or copied in any electronic form (hereinafter referred to as the computer output) shall be deemed to be also a document, if the conditions mentioned in this section are satisfied in relation to the information and computer in question and shall be admissible in any proceedings, without further proof or production of the original, as evidence or any contents of the original or of any fact stated therein of which direct evidence would be admissible
- (2) The conditions referred to in sub-section (1) in respect of a computer output shall be the following, namely:-
 - (a) the computer output containing the information was produced by the computer or communication device during the period over which the computer or Communication device was used regularly to create, store or process information for the purposes of any activity regularly carried on over that period by the person having lawful control over the use of the computer or communication device;
 - (b) during the said period, information of the kind contained in the electronic record or of the kind from which the information so contained is derived was regularly fed into the computer or Communication device in the ordinary course of the said activities;
 - (c) throughout the material part of the said period, the computer or communication device was operating properly or, if not, then in respect of any period in which it was not operating properly or was out of operation during that part of the period, was not such as to affect the electronic record or the accuracy of its contents; and

(d) the information contained in the electronic record reproduces or is derived from such information fed into the computer or Communication device in the ordinary course of the said activities.

(3) Where over any period, the function of creating, storing or processing information for the purposes of any activity regularly carried on over that period as mentioned in clause (a) of sub-section (2) was regularly performed by means of one or more computers or communication device, whether-

- (a) in standalone mode; or
- (b) on a computer system; or
- (c) on a computer network; or
- (d) on a computer resource enabling information creation or providing information processing and storage; or
- (e) through an intermediary,

All the computers or communication devices used for that purpose during that period shall be treated for the purposes of this section as constituting a single computer or communication device; and references in this section to a computer or communication device shall be construed accordingly.

(4) In any proceeding where it is desired to give a statement in evidence by virtue of this section, a certificate doing any of the following things shall be submitted along with the electronic record at each instance where it is being submitted for admission, namely:-

- (a) identifying the electronic record containing the statement and describing the manner in which it was produced;
- (b) giving such particulars of any device involved in the production of that electronic record as may be appropriate for the purpose of showing that the electronic record was produced by a computer or a communication device referred to in clauses (a) to (e) of sub-section (3);
- (c) dealing with any of the matters to which the conditions mentioned in sub-section (2) relate, and purporting to be signed by a person

in charge of the computer or communication device or the management of the relevant activities (whichever is appropriate) and an expert shall be evidence of any matter stated in the certificate; and for the purposes of this sub-section it shall be sufficient for a matter to be stated to the best of the knowledge and belief of the person stating it in the certificate specified in the Schedule.

(5) For the purposes of this section, -

- (a) information shall be taken to be supplied to a computer or communication device if it is supplied thereto in any appropriate form and whether it is so supplied directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment;
- (b) a computer output shall be taken to have been produced by a computer or communication device whether it was produced by it directly or (with or without human intervention) by means of any appropriate equipment or by other electronic means as referred to in clauses (a) to (e) of sub-section (3).

The State Government hereby order that all Departments in the State shall co-operate and coordinate, as and when required for invoking the above provisions of Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ABHISHEK AGARWAL, Deputy Secretary.